न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस

विभागीय अपील संख्या 09/2018

| अपीलान्टस | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| ज्ञानसिंह, पूर्व पटवारी<br>सिलोर हाल–पटवारी<br>सांवरडा तहसील<br>समदडी जिला बाडमेर। | | जिला कलेक्टर,<br>(भू0अ0) बाडमेर। |

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश कमांक भू0अ0/वि0जॉ0/ 2016/2081 दिनांक 11.4.2017 जो श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा सीसीए 17 के अन्तर्गत पारित करते हुए अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, समदडी अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांक 30 जुलाई, 2019

अपीलान्ट के द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.4.2017 के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत अपीलान्ट को एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर यह अपील राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 21.12.2017 को प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई यह निवेदन कि उसके पटवार मण्डल सिलोर तहसील समदडी के पद पर कार्यरत रहने के समय अपीलान्ट पर जिला कलेक्टर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

कार्यालय के पत्रांक 2473 दिनांक 17.5.2015 के द्वारा ज्ञापन जारी करते हुए यह आरोपित किया कि माननीय जिला कलेक्टर बाडमेर की दिनांक 9.102.105 को समदडी में आयोजित जन सुनवाई (रात्रि चौपाल) में शराब पीया हुआ होने तथा ग्रामीणों के साथ व्यवहार सही ढंग से नहीं किया जा रहा है।

अपीलान्ट ने उक्त आरोप का का प्रत्युतर दिनांक 15.6.2016 को जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया जिसमें उसके द्वारा यह निवेदन किया कि ग्राम पंचायत की सरपंच रेशमा कंवर के चाचा टीकमसिंह ने उसे हटाने की शिकायत की थी। श्री टीकम सिंह आदतन शिकायती व्यक्ति है उस पर स्वयं पर कई पुलिस केस लगे हुए है। सरपंच रेशमा कंवर शादी के पश्चात ससुराल रहती थी तथा ग्राम पंचायत में उपस्थित नही रहती थी। टीकमसिंह धमकी देता कि उसे सिलोर से हटवाकर कही और बदली करवा देगा। नामान्तरकरणों पर भी अन्तिम समय नें तहसीलदार से हस्ताक्षर करवाने पडते थे। क्योंकि ग्रामीणों के कई कार्य समय पर सरपंच रेशमाकंवर द्वारा नहीं किये जाते थे। इस कारण टीकम सिंह अपीलान्ट से द्वेषभावना रखते हुए धमकी देता था। अपीलान्ट अपने पदीय कर्तव्यों को पूर्ण रूप से सम्पादित करता आ रहा है और ग्रामीणों की सहायता व तत्परता से कार्य रहा था। जिला कलेक्टर महोदय की दिनांक 9.10.2015 को तहसील मुख्यालीय समदडी पर आयोजित जन सुनवाई (रात्रि चौपाल) के समय शराब पीया हुआ नहीं था।

अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के शराब पीया हुआ होने किसी लेबोट्री से जॉच नहीं करवाई गई, मात्र शराब की गंध आने मात्र से उसे अत्यधिक शराब के नशे में होना बता दिया जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समदडी के चिकित्सक द्वारा अपीलान्ट की गई जॉच में केवल मात्र शराब की स्मेल आनी बताई थी, जिसकी प्रति अपील के संलग्न अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है उसके उपरान्त भी जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपीलान्ट को उक्त कृत्य हेतु दोषी मानते हुए दिनांक 11.4.2017 अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी गई।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

विभागीय अपील संख्या 09/2018 ज्ञानसिंह पटवारी बनाम जिला कलेक्टर बाडमेर

कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश 11.04.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जावें।

हमने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा प्रेषित की गई टिप्पणी व विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट पर यह आरोप आरोपित किया गया है कि दिनांक 9.10.2015 को समदडी में आयोजित रात्रि चौपाल में जनसुनवाई कार्यक्रम में अपीलान्ट ने शराब का सेवन किया हुआ होने तथा सरकारी कार्मिक होते हुए भी अमर्यादित आचरण यानि असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया गया, का उल्लेख किया गया है।

अपीलान्ट के शराब पीये होने की मेडिकल जॉच करवाये जाने पर जॉच रिपोर्ट में अपीलान्ट का उक्त दिवस को शराब पीना नहीं होकर मात्र शराब की गंध आना बताया है। अपीलान्ट जो कि फौज से सेवानिवृत सैनिक है और उनको अपनी आर्मी सेवा को मध्यनजर रखते हुए अपना आचरण अपने पद के अनुरूप मर्यादित रखना चाहिये था। चूंकि उक्त कृत्यों के आधार पर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलान्ट को दिया गया दण्ड आनुपातिक दृष्टि से अधिक है जिसमें संशोधन किया जाना उचित होगा। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त यह समझते है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.4.2017 को इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि अपीलान्ट कार्मिक की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

विभागीय अपील संख्या 09/2018 ज्ञानसिंह पटवारी बनाम जिला कलेक्टर बाडमेर

अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त पटवारी पद पर पदस्थापन से पूर्व 26 वर्ष की सम्मानित सेवाएं आर्मी सेना में दी है तथा पूर्व में फौजी रह चुका था, अपीलान्ट भी यह जानता था कि कार्यालय समय में किसी प्रकार का नशा किया जाना अवैधानिक तथा नियम विरूद्ध होता है। ऐसे में अपने पिछले कार्यकाल को देखते हुए ऐसा कृत्य कैसे कर सकता था, मात्र सरपंच के चाचा टीकमसिंह द्वारा एक शिकायत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष कर दिये जाने पर इतना विस्तृत प्रकरण तैयार कर दिया और अपीलान्ट को दोषी घोषित कर दिया गया।

अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि दिनांक 11.10.2015 को ही राजस्व मंत्री महोदय की ग्राम समदडी में आयोजित जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों के द्वारा अपीलान्ट के कार्यो के प्रति संतुष्टी रखते हुए यह सिफारिश की गई थी कि अपीलान्ट पटवारी को यथावत पटवार मण्डल में रखे जाने तथा पटवारी की गलत शिकायत करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया था। उक्त समाचार राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में छपे थे। ऐसे में केवल मात्र एक आदतन शिकायती व्यक्ति की शिकायत पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अपीलान्ट को उक्त कृत्य हेतु दोषी मान लिया निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि अपीलान्ट को पटवारी पद पर नियुक्त हुए 02 वर्ष से कम समय हुआ है और उक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की राजकीय सेवा में बहुत अधिक भविष्यलक्षी प्रभाव आ जायेगा और अपीलान्ट का सेवा रेकर्ड भी दूषित हो जायेगा। दोहरी हानि उठानी पडेगी तथा अपीलान्ट उसे पदौन्नति सम्बन्धी परिलाभों से भी वंचित होना पडेगा। अपीलान्ट का गृह स्थल जयपुर जिले में होने के कारण अपीलान्ट की बोली में तथा समदडी के ग्रामीणों की बोली में थोडा अन्तर होने के कारण भी कई बार उसको भी परेशानियों का सामना करना पडता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं श्रीमान् जिला

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर